संख्या-587/2026/2088/22-2-2024-17(854)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकृपाल पुत्र श्री राजदेव, निवासी जनपद-गोरखपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-36860/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-19.11.2024, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकृपाल पुत्र श्री राजदेव, बेलवा दाखिली, थाना-बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 23.03.1999 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तेल छिड़क कर जलाकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/2000 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 302/201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-03, गोरखपुर के दण्डादेश दिनांक 27.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.07.2012 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 14.09.2024 तक अपरिहार 12 वर्ष, 03 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 14.09.2024 तक 66 वर्ष, 08 माह, 02 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी रामकृपाल पुत्र श्री राजदेव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 14.09.2024 के अनुसार बन्दी की 66 वर्ष, 08 माह, 02 दिन की आयु, स्वास्थ्य की दशा अच्छा होने, बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 14.09.2024 तक अपरिहार 12 वर्ष, 03 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उल्लेखनीय है कि दयायाचिका के आधार पर सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में विचार भारत का संविधान के संविधान के अनुच्छेद-161 में प्राप्त शक्तियों के अधीन किया जाता है। सामान्य दयायाचिका पर रिहाई हेतु विहित प्रक्रिया जेल मैनुअल के प्रस्तर-87 तथा शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल 2005 में दी गयी ।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामकृपाल (बन्दी संख्या-20/2014) पुत्र श्री राजदेव, निवासी जनपद-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गोरखपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 587/2026/2088(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।